Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

वण्डर सीमेंट बनाम **अरविन्द वगैराह**

कार्यवाही :– **अन्तर्गत धारा 89 (02) एवं (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र (रें.वि.)** नं0 **019** सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.01.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी नरेन्द्र नाहर हाजिर। हाजिर वकील प्रार्थी ने ओदशिका पर **NOT PRESS** अंकित कर निवेदन कर निवेदन किया कि प्रार्थी कंपनी अपना प्रार्थना–पत्र नहीं चलाना चाहती है अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने का आदेश दिलवाया जावें। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् कार्यवाही विड्रो को सुना गया। वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस बाबत् कार्यवाही विड्रो का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। प्रार्थी कंपनी स्वयं अपना प्रार्थना–पत्र नहीं चलाना चाहती है ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी के निवेदन को स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी कंपनी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 89 (02) एवं (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को विड्रोल में खारीज किया जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुना गया। सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official **–S/D–** (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 31.01.2024	